इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019—कार्तिक 3, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5247-इक्कीस-ब (एक)-2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के अंत में, सेमी कॉलन के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा कॉलन के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों के लिए अर्हकारी सेवा की कुल अवधि की संगणना के लिए, दस वर्ष या बार में वास्तविक व्यवसाय की अवधि, जो भी कम हो, को बार से उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए सदस्य की सेवा को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए जोड़ा जाएगा कि बार में व्यवसाय की वरीयता सिर्फ तभी दी जाएगी यदि सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति ने, सेवानिवृत्ति के पूर्व न्यूनतम दस वर्षों के लिए वास्तविक रूप से कार्य किया हो."

2. उक्त संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

F. No. 5247-XXI-B (One)-2019.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In the end of clause (ii) of sub-rule (1) of rule 11 for semi colon, colon shall be substituted and after the colon, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that for computation of total period of qualifying service for pension and other post retirement benefits, ten years or actual period of practice at the Bar, whichever is less, shall be added to the service of a member recruited directly from the Bar in Higher Judicial Service cadre, subject to the condition that the weightage of practice at the Bar shall be given only if the direct recruit has actually worked for minimum ten years before retirement.".

2. The above amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.